



UPKJ010035022024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०) कक्ष सं०-1, कन्नौज।  
 उपस्थित- श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)  
विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-856/2024

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोजन पक्ष।

बनाम

श्याम कान्त पुत्र ओमप्रकाश,

निवासी-मोहल्ला चौधरियान थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज। .....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या-1444/2021

धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003

थाना-एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दायित्विक वाद थाना एण्टी वापर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के मुकदमा अपराध संख्या-1444/2021 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्त श्याम कान्त के विरुद्ध धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 का अपराध आरोपित है।
2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी अवर अभियंता अजय अवस्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर (प्रदर्श क-3) के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 25.09.2021 को मुझ अवर अभियंता अजय अवस्थी 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र छिबरामऊ प्रथम मय संविदा लाइनमैन, मय प्रवर्तन दल कन्नौज के प्रभारी उपनिरीक्षक बृजभान सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल कुमार, मुख्य आरक्षी सुरेशराम, आरक्षी करतार प्रवर्तन दल कन्नौज के साथ समय लगभग 16.25 बजे उपभोगकर्ता श्यामकान्त पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला चौधरिया छिबरामऊ, जनपद कन्नौज संयोजन संख्या-8631130598 पर विद्युत बिल का 32,867/-रूपये बकाया होने पर पूर्व में संयोजन विच्छेदित किया गया था। मौके पर संयोजन चेकिंग के दौरान विच्छेदन होने के बावजूद अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का उपभोग करते पाया गया। मौके पर विद्युत बिल बकाया जमा सम्बन्धित कोई प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किये गये। चेकिंग से पूर्व आने-जाने वाले लोगों से गवाही हेतु कहा गया परन्तु स्थानीय भलाई-बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। मौके पर चेकिंग रिपोर्ट संख्या-655 भरी गयी। अतः मुल्जिम उपरोक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए।
3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त श्याम कान्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त दिनांक 20.01.2026 को अभियुक्त श्याम कान्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के विरुद्ध विरचित

आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी वादी मुकदमा/पी०डब्लू०-1 अवर अभियंता अजय अवस्थी को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर रिपोर्ट प्रदर्शक-3 प्रदर्शांकित किया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है-

7. अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 अवर अभियंता अजय अवस्थी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.09.2021 को मैं अपने हमराहियान के साथ समय लगभग 16.25 बजे उपभोगकर्ता श्याम कान्त पुत्र ओमप्रकाश का संयोजन संख्या-8631130598 पर विद्युत बिल का रूपये 32,867 बकाया होने पर पूर्व में संयोजन विच्छेदित किया गया था। मौके पर चेकिंग के दौरान संयोजन विच्छेदन होने के बावजूद अपने स्तर से विद्युत जोड़कर उपभोग करते पाया गया। जमा सम्बन्धित प्रपत्र मांगे गये, लेकिन नहीं दिखा सका। चेकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है जिसपर प्रदर्शक-1 डाला गया। विद्युत विच्छेदित स्लिप दिनांकित 08.09.2021 पत्रावली पर मौजूद है जिस पर प्रदर्शक-2 डाला गया। मूल तहरीर पत्रावली पर मौजूद है जिसपर प्रदर्शक-3 डाला गया है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मेरी निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया था।

साक्षी/वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 अवर अभियंता अजय अवस्थी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त श्याम कान्त द्वारा इस मुकदमे से सम्बन्धित सभी प्रकार की बकाया भुगतान कर दिया गया है। अभियुक्त पर कोई बकाया शेष नहीं है।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू-1 के बयान से यह विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा समस्त बकाया धनराशि का भुगतान विद्युत विभाग में किया जा चुका है इसके बावत पत्रावली पर विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांकित 12.01.2026 संलग्न है।

8. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू-1 अवर अभियंता अजय अवस्थी के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

9. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

10. अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि

अभियुक्त ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्त के विरुद्ध झूठी गवाही दी गई। अभियुक्त द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्त पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

12. धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

13. धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

14. पत्रावली में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 12.01.2026 में यह अंकित है कि उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त श्याम कान्त पुत्र ओमप्रकाश से विद्युत बिल की बकाया धनराशि मु०-26,161/-रूपये जमा कर दिया गया है। इस मामले सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य धनराशि जमा हो चुका है। इस आपराधिक वाद को समाप्त करने विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

15. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया धारा-138(1) (बी) विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र विचारण वाद संख्या-856/2024 राज्य बनाम श्याम कान्त अन्तर्गत धारा-138 (1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 बाबत मुकदमा अपराध संख्या-1444/2021 थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त श्याम कान्त आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-856/2024 बाबत मुकदमा अपराध संख्या-1444/2021, थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 से अभियुक्त श्याम कान्त को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रुपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

**दिनांक-04.04.2026**

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश  
(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code- UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

**दिनांक-04.04.2026**

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश  
(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code- UP6489